

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर


कमरा नं०. 7226 द्वितीय तल, खाद्य भवन शासन सचिवालय जयपुर - 302005 राजस्थान

क्रमांक :- भ. भण्डार 14(4)(1)/लैपटॉप संघारण/अभि/19/4511-17 दिनांक :- 18/04/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1(3)एफडी(रूल्स)/ 1997/पार्ट जयपुर दिनांक 20.03.2014 एवं 15.10.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियोजन सेवा के राज्य सेवा के अधिकारी यथा अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, उप निदेशक अभियोजन, सहायक निदेशक अभियोजन एवं अभियोजन अधिकारी को आंबटित लैपटॉप उनकी सेवानिवृति पर अवमूल्यित राशि (Residual Value) पर विधि विभाग के बजट मद 2014-00-911-01-00 विधि विभाग की वसूलियां Object Head - 98/SF/Voted में प्रतिधारित (Retain) किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की ID 102201736 दिनांक 31.03.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निदेशक राजस्थान न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
5. समस्त अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. लेखा शाखा अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर।

फोन नं० 0141-2227806, फैक्स नं० 0141-2227806

Website : www.prosecution.rajasthan.gov.in Email : prosecution@rajasthan.gov.in